



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 अग्रहायण , 1943 (श०)

संख्या-576 राँची, सोमवार,

29 नवम्बर, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

1 नवम्बर, 2021

संख्या-5/आरोप-1-383/2014-18008(HRMS)--श्री ललन कुमार, झा०प्र०से० (प्रथम बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी माण्डू, सम्प्रति-निलंबित के विरुद्ध श्री कृष्ण कुमार, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, राँची द्वारा एक परिवाद पत्र समर्पित किया गया, जिसमें इनके विरुद्ध फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जे०पी०एस०सी० प्रथम सिविल सेवा परीक्षा में चयन होने का आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त के आधार पर श्री कुमार के विरुद्ध विभाग स्तर पर प्रपत्र-‘क’ का गठन किया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किये गये-

श्री ललन कुमार, झा०प्र०से० द्वारा संदिग्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रथम संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा में OBC Category अन्तर्गत झारखण्ड प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति प्राप्त की गयी है। इनका उक्त कृत्य सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3 के प्रतिकूल है एवं दण्डनीय है ।

आरोप की विवरणी निम्नवत् है-

श्री ललन कुमार, झा०प्र०से० के विरुद्ध श्री कृष्ण कुमार, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, राँची द्वारा एक परिवाद पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि चूँकि श्री कुमार बिहार राज्य के

स्थायी निवासी हैं, अतः इनका चयन झारखण्ड के किसी भी परीक्षा में सामान्य श्रेणी में होनी चाहिए, लेकिन उनका चयन जे०पी०एस०सी० प्रथम सिविल सेवा परीक्षा में ओ०बी०सी० श्रेणी में हुआ है।

श्री ललन कुमार द्वारा नियुक्ति हेतु समर्पित आवेदन के साथ अनुमंडल पदाधिकारी, सदर राँची द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र क्रमांक-1636, दिनांक 17.03.2006 संलग्न किया गया है, जिसमें इनका स्थायी पता- बांधगाड़ी, डाकघर-बरियातू, थाना-सदर, जिला-राँची अंकित है।

परिवादी श्री कृष्ण कुमार से प्राप्त परिवाद पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-7876, दिनांक 07.07.2012 द्वारा उपायुक्त, राँची से इनके उक्त स्थायी पता की जाँच हेतु अनुरोध किया गया एवं इसके लिए स्मारित किया गया।

उपायुक्त, राँची के पत्रांक-78(i)/स्था०, दिनांक 23.05.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री ललन कुमार, झा०प्र०से० के आवासीय पता- बांधगाड़ी, बरियातू, राँची के झारखण्ड के मूल निवासी होने के संदर्भ में अंचल अधिकारी, बड़गाई (नव सृजित अंचल) से प्रतिवेदन की माँग की गयी। अंचल अधिकारी, बड़गाई ने अपने पत्रांक-117(ii) दिनांक 07.02.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि स्थानीय पूछताछ में श्री कुमार के उक्त पता पर निवास करने पर अनभिज्ञता जाहिर की गयी है। वे वर्तमान में उक्त पता पर निवास नहीं करते हैं।

अंचल अधिकारी, बड़गाई से उक्त प्रतिवेदन पर श्री ललन कुमार, झा०प्र०से०, तत्कालीन अंचल अधिकारी, लातेहार से उपायुक्त कार्यालय, राँची के पत्रांक-288(ii)/स्था०, दिनांक 08.03.2017 द्वारा परिवाद पत्र पर अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 18.03.2017 को उपस्थिति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया। निर्धारित तिथि को श्री कुमार की अनुपस्थिति पर उपायुक्त कार्यालय, राँची के पत्रांक-395(ii)/स्था०, दिनांक 31.03.2017 द्वारा जिला उप उपसमाहर्ता, लातेहार को प्रस्तुत मामले में श्री ललन कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, लातेहार को अपना पक्ष रखने के लिए अपने स्तर से यथोचित निदेश देने का अनुरोध किया गया, फिर भी ये अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित नहीं हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि वे इस संदर्भ में अपना पक्ष रखना नहीं चाहते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री कुमार द्वारा संदिग्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रथम संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा में OBC Category अन्तर्गत झारखण्ड प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति प्राप्त की गयी है। इनका उक्त कृत्य सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3 के प्रतिकूल है एवं दण्डनीय है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-8213, दिनांक 19.07.2017 एवं पत्रांक-10982, दिनांक 31.10.2017, पत्रांक-248, दिनांक 10.01.2019, पत्रांक-3263, दिनांक 23.04.2019 एवं पत्रांक-5503, दिनांक 12.07.2019 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गई।

श्री कुमार से स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने कारण विभागीय संकल्प सं०-4423 (HRMS), दिनांक 13.03.2020 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें श्री गौरी शंकर मिंज, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-190, दिनांक 01.04.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया ।

अतः संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर श्री ललन कुमार, झा०प्र०से० (प्रथम बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, माण्डू, सम्प्रति-निलंबित के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त की जाती है ।

श्री कुमार के विरुद्ध यदि इस मामले को Caste Scrutiny Committee को refer किया जाता है, एवं भविष्य में यदि प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तो नए सिरे से विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री ललन कुमार, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	LALAN KUMAR JHK/JAS/174	श्री ललन कुमार, झा०प्र०से० (प्रथम बैच), सम्प्रति-निलंबित के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3282
